भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1522
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान

1522. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में कृषि और बागवानी के उत्पादों की फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान की वर्ष-वार और वस्तु-वार मात्रा कितनी-कितनी है;
(ख) फसल कटाई के बाद के अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय आवंटन और समर्थित परियोजनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) किसानों की आय बढ़ाने और बर्बादी कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं आधुनिक भंडारण के विस्तार हेतु कौन-सी नई पहलों की योजना बनाई जा रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): देश में फसलोत्तर नुकसान का आकलन करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), वर्ष 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 के माध्यम से दो अध्ययन शुरू किए थे।

चूंकि आईसीएआर-सिफेट अध्ययन ने कृषि वस्तुओं की श्रेणी-वार मात्रा की हानियों को शामिल नहीं किया था, इसलिए नैबकॉन्स अध्ययन में मूल्यांकन के अनुसार भारत में विभिन्न कृषि उपज फसलोत्तर नुकसान की श्रेणी-वार मात्रा का नुकसान नीचे दिया गया है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित मात्रा हानि**
	नैबकॉन्स अध्ययन के अनुसार (मिलियन मीट्रिक टन) (वर्ष 2022)
अनाज	12.49
दालें	1.37
तिलहन	2.11
फल	7.36
सब्ज़ियाँ	11.97
बागानी फसलें (गन्ना और मसाले सहित)	30.59
पशुधन उत्पाद (दूध, मांस और मछली)	3.01
अंडा*	7363

*अंडों के लिए, लाखों की संख्या में उत्पादन और प्रति अंडे की कीमत ली गई।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य विभिन्न पहलों और योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना है। ऊपर वर्णित योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, एमओएफपीआई खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और दी गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय

देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, अपव्यय कम करना, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाना है।

एमओएफपीआई देश भर में वर्ष 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित करता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना) (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है), (vi) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है)।

ये योजनाएं मांग आधारित हैं और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों अवसंरचना सुविधाओं का सृजन होता है। घटक योजनाओं के अंतर्गत सृजित सुविधाएं कच्चे कृषि उपज के परिरक्षण और प्रसंस्करण एवं कच्चे तथा तैयार संसाधित खाद्य उत्पादों के कुशल परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान को कम किया जाता है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, प्रारम्भ से देश भर में कुल 1619 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1181 परियोजनाएं दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरी हो चुकी हैं, जिससे 269.61 एलएमटी/वार्षिक (लाख मीट्रिक टन) की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित हुई है। पीएमकेएसवाई एमओएफपीआई की एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

एमओएफपीआई पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। देश भर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों सहित सभी उत्पादों के लिए संभावित उद्यमियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रचालनरत है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, 3,86,686 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं और जिनमें से 1,62,744 ऋण 13.23 हजार करोड़ रुपये की सावधि ऋण राशि के साथ स्वीकृत किए गए हैं। 1244.95 करोड़ रु. की प्रारम्भिक पूंजी सहायता 3,65,935 महिला एसएचजी सदस्यों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

एमओएफपीआई की पीएलआईएफपीआई योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने का है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत कुल 170 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों ने 9,032 करोड़ रुपये के निवेश की सूचना दी है और 2162.55 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया है। इस योजना ने वर्ष 2026-27 तक 2.5 लाख के लक्ष्य की तुलना में 3.40 लाख से अधिक रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित किए हैं और 35.14 एलएमटी/वार्षिक (लाख मीट्रिक टन) की प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित की है।

****

अनुबंध

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए "फसल कटाई के उपरांत हानि" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1522 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (पीएमकेएसवाई) की पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार स्थिति

क्र.स.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	25	11	0	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	2	5	0	0
4	असम	2	21	36	0	0
5	बिहार	0	4	3	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	3	1	0	1
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	1
10	गोवा	0	0	1	0	0
11	गुजरात	0	18	4	0	2
12	हरियाणा	0	6	9	2	1
13	हिमाचल प्रदेश	0	1	4	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	1
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	0	6	12	0	3
17	केरल	0	8	9	2	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	16	6	0	0
21	महाराष्ट्र	1	55	30	0	2
22	मणिपुर	0	0	3	0	0
23	मेघालय	0	0	3	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	0	7	7	2	2
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	10	4	0	0
29	राजस्थान	0	14	7	1	1
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1	16	17	0	11
32	तेलंगाना	0	10	23	0	1
33	त्रिपुरा	0	1	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	18	9	0	3
35	उत्तराखंड	0	8	4	1	0
36	पश्चिम बंगाल	0	8	6	0	1